संक्षिप्त

दुर्घटना पीड़ितों को सांत्वना दी

चौमूं / कालाडेरा, (निसं)। सीकर के पलसाना में हुई सड़क दुर्घटना में चौमूं विधानसभा क्षेत्र के गांव सामोद से 9 व्यक्तियों की मृत्यु का समाचार पाकर ऑल इंडिया प्रोफशनल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रुक्क्षमणी कुमारी ने शोकाकुल परिवार से मुलाक़ात की और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। मौके पर ही दूरभाष पर अधिकारीयों से बात कर परिवार को सरकारी सुविधाएं देने का आग्रह किया। दिवंगत पुण्य आत्माओं को भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

भाविका का बॉक्सिंग प्रतियोगिता में चयन

सांभरझील, (निसं)।ऑल इंडिया बॉक्सिंग प्रतियोगिता में सांभर महाविद्यालय की छात्रा भाविका मीणा का चयन होने पर शारीरिक शिक्षक सुरेंद्र सिंह राठौड़ के सानिध्य में महाविद्यालय की तरफ से उनका अभिनंदन किया गया। राठौड़ ने बताया कि ऑल इंडिया अन्तर्विश्वविद्यालय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन एमडी विश्वविद्यालय, रोहतक में हुआ था जिसमें राजकीय महाविद्यालय, साँभर की छात्रा भाविका मीणा ने 65 किलो भार वर्ग ऑल इंडिया अन्तर्विश्वविद्यालय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व कर क्षेत्र को फिर से गौरवान्वित किया है।

पौषबडा महोत्सव उमड़े श्रद्धालु

निवाई, (निसं)। पीपलू में स्थित कूट वाले बालाजी के मंदिर में पौषबडा महोत्सव का आयोजन किया गया। जिसमे सर्व समाज के लोगों द्वारा बालाजी की पूजा अर्चना करके महाआरती कर पौषबडा का भोग लगाकर प्रसादी का वितरण किया गया। कृष्णकुमार जांगिड ने बताया कि बालाजी मंदिर में पौष बडा महोत्सव को लेकर महिलाओं द्वारा भजन-संकीर्तन व रामधुनी का आयोजन किया गया।

राजाराम राष्ट्रीय उप प्रधान बने

निवाई, (निसं)। अखिल भारतीय जांगिड ब्राह्मण महासभा दिल्ली के प्रधान रामपाल जांगिड ने कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए राजाराम जांगिड निवासी शुकपुरिया सेदरिया को राष्ट्रीय उप प्रधान के पद पर मनोनीत किया है।

पेपर लीक मामले में युवा आक्रोश रैली का आयोजन

चौमूं/कालाडेरा, (निसं)। द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक होने के मामले में बुधवार को शहर में राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव के नेतृत्व में युवा आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। थाना मोड चौराहे से रैली शुरू होकर एसडीएम कार्यालय पहुंची। जहां युवाओं ने 15 सूत्री मांगों को लेक मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम प्रियव्रत सिंह चारण को ज्ञापन सौंपा।

युवाओं ने ज्ञापन में पेपर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने रासुका कानून लागू करने की मांग की। रैली के दौरान बड़ी संख्या में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे क्षेत्र के युवा शामिल हुए। रैली के दौरान आक्रोशित युवाओं के हाथों में पेपर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग लिखे हुए स्लोगन की तख्तियां नजर आई।

■ 15 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा

चौमूं में राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव के नेतृत्व में रैली निकाली।

उपेन यादव ने प्रदेश के नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रदेश में पेपर माफिया गिरोह पर अंकुश नहीं लगाया गया तो आने वाले विधानसभा चुनाव में नेताओं का भविष्य प्रदेश के युवा खराब कर देंगे। उपेन यादव ने कहा कि तमाम भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली की सीबीआई से जांच करवाई जाए। कब तक प्रदेश में पेपर माफिया पेपर बेचते रहेंगे और युवाओं के सपनों का कत्ल करते रहेंगे। आज प्रदेश में बेरोजगार युवा सड़कों पर उतर चुका है और सरकार को चेतावनी दे रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी का सपना पाले प्रदेश के युवा पूरे दिलो-दिमाग से कड़ी मेहनत कर परीक्षा की तैयारी में जुटते हैं। लेकिन प्रश्न पत्र लीक हो जाने से उनके सपनों पर पानी फिर जाता है। ऐसे गिरोह जो प्रश्न पत्र लीक करने में जुटे हुए हैं।

सरकार इनके खिलाफ प्रभावी और कठोर कार्रवाई करें। ताकि युवाओं के सपने साकार हो सके। प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर अब तक प्रश्नपत्र लीक के मामले में जो घटनाएं सामने आई उनके कहां और किस से जुड़े हुए हैं। इनका अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। इस मामले की अगर सीबीआई से जांच हो तो संपूर्ण घटनाओं का राजफाश हो सकता है। सरकार इस विषय को गंभीरता से लें और युवाओं के सपनों को साकार करने में सहभागी बने। इस दौरान आक्रोशित युवाओं ने जमकर नारेबाजी भी की।

पालिका ने 39 पट्टे वितरित किये

देवली, (निसं)। राज्य सरकार द्वारा आमजन को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से 2021 से प्रशासन शहरों के संग अभियान-का संचालन किया जा रहा है। अभियान के अन्तर्गत नगरपालिका देवली को 3000 पट्टे जारी करने का लक्ष्य आवंटित किया गया था। इसी क्रम में नगरपालिका देवली द्वारा बुधवार को विभिन्न योजनाओं यथा- स्टेट ग्रान्ट एक्ट, 69-क, कृषि भूमि एवं नगरपालिका की योजनाओं सहित कुल 39 पट्टों का संबंधित आवेदकों को पट्टे वितरण किया गये। नगरपालिका देवली द्वारा अब तक कुल 2893 पट्टों का वितरण किया जा चुका है। नगरपालिका देवली क्षेत्र में पट्टा प्राप्त करने से शेष रहे व्यक्तियों से पालिका ईओ सुरेश कुमार मीणा ने अपील की है कि अभियान-2021 की अन्तिम तारीख से पूर्व पट्टा प्राप्त करने हेतु लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

दूध पिलाकर नववर्ष का स्वागत किया

श्रीमाधोपुर, (निसं)। लोकसेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट की ओर से नववर्ष पर दूध महोत्सव का आयोजन बुधवार को किया गया। युवाओं में बढ़ती नशे की लत की रोकथाम के लिए कस्बे में ओंकारदास महाराज के सानिद्य में दूध पिलाकर किया। महोत्सव के तहत कस्बे के गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं और राहगीरों को दूध पिला कर नववर्ष का स्वागत किया। शराब जैसे व्यसन से दूर रहने को लेकर 51 किलो दूध से दुग्ध महोत्सव का आयोजन किया।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगरीय क्षेत्र निवाई (न.पा.नि.) (जिला-टोंक)

क्रमांकः-का.प्रा.अधि.न.क्षे.नि./कृ.भू./2021-22/12575 दिनांक-04.01.2023

आपत्ति आमन्त्रण सूचना

श्री/श्रीमती मेघराज पुत्र हरनाथ, निवासी उपराला बास निवाई पप्पू, पुत्र रामनाथ बैरवा निवासी बी 11 कल्याण नगर सीता बाडी टोंक मार्ग सांगानेर जिला जयपुर राज. ने राजस्व ग्राम निवाई प्रथम में स्थित खसरा नम्बर 4836,4839/1,4839/2 कुल किता 03 06 बीघा 11 बिस्वा भूमि का राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए भूमि के उपयोग हेतु भूमि का गैर-कृषिक कृषि आधारित (औद्योगिक वेयर हाउस) हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था, चूंकि उक्त आवेदन 4 हैक्टेयर से अधिक है इस संबंध में नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक F.3(77)UDH/3/2010 Part दिनांक 10.08.2020 के प्रोविजन 5.01(E)(a)Provision 3(iii)(a) अनुसार व्यावसायिक/संस्थागत/औद्योगिक उपयोग के योजना अनुमोदन हेतु 4 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल होने पर न्यूनतम पहुचमार्ग 30 मीटर होना अनिवार्य है उक्त प्रस्तावित सड़क को भविष्य में आस-पास की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए न्यूनतम 30 मीटर रखा जाना है अतः एन.एच. 12 से हमीदपुरा की ओर जाने वाले रास्ता योजना स्थल तक रास्ते का मार्गाधिकार 30 मीटर चौड़ा यानि रास्ते के मध्य से 15 मीटर मार्गाधिकार का निर्धारण किया जाना है। अतः उक्त मार्गाधिकार में निम्नलिखित खसरा नम्बरान में से 4836, 4839/1, 4839/2 का आशिंक भाग में से मार्गाधिकार का निर्धारण किया जाना है इस सम्बध यदि किसी खातेदार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 10 दिन के भीतर-भीतर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षर के समक्ष दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

(श्रीमति महिमा डागी) प्राधिकृत अधिकारी, नगरीय क्षेत्र निवाई

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड IDFC FIRST Bank

(पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड व आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित)
CIN : L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैन्नाई-600031
फोन- +91 44 4564 4000 | फैक्स- +91 44 4564 4022

परिशिष्ट-IV [नियम 8 (1)]
कब्जा नोटिस
(अचल सम्पत्ति का)

चूंकि अथोहस्ताक्षरकर्ता आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड व आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित) के प्राधिकृत अधिकारी है अतः वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुर्न निर्माण एवं प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 तथा उपर्युक्त कथित अधिनियम की धारा 13 (12) के साथ पठित प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 08.03.2019 को एक मांग नोटिस कर्जदारो, सह-कर्जदारों एवं जमानतियों 1, सुनील कुमार योगी, 2 फूलवती योगी को जारी किया गया था, जिसमें 08.03.2019 की तिथी को देय मांगपत्र में उल्लेखित राशि रूपये 9,73,182.56/- (रूपये नौ लाख तिहत्तर हजार एक सौ बियासी और पैसा छप्पन मात्र) का भुगतान उपर्युक्त नोटिस प्राप्ती में 60 दिन के अन्दर करने को कहा गया था।

चूंकि कर्जदार उक्त राशि को वापस चुकाने में विफल रहे है अतः कर्जदारों एवं जनसाधारण को नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कथित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के साथ पठित प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 जिसका नोटिस में उल्लेख किया गया है के तहत अथोहस्ताक्षरकर्ता को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्होंने यहां निम्न वर्णित संपत्तियों के आज जनवरी 2023 के 3सरे दिन भौतिक रूप से अपने कब्जे/अधिकार में ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदारों एवं आम जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे इन सम्पत्तियों का सौदा लेनदेन नहीं करें तथा इस सम्पत्ति का किसी भी प्रकार से खरीद-बिक्री करने पर उसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड व आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित) की प्रभारित शर्तों के अधीन राशी रूपये 9,73,182.56/- (रूपये नौ लाख तिहत्तर हजार एक सौ बियासी और पैसा छप्पन मात्र) का भुगतान उस पर प्रभारित ब्याज सहित करना होगा।

कर्जदारों का ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें प्रतिभूतिकृत सम्पत्तियों को मुक्त करने के बारे में उपलब्ध समयावधि का उल्लेख है।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

सम्पत्ति प्लाट नं. 31, श्री श्याम कुंज सरोवर-ए, चौमू-रेनवाल रोड, जयपुर, राजस्थान-303702, शिव मंदिर के पास, का पूरा व प्रत्येक भाग।

दिनांक- 03.01.2023
स्थान- जयपुर
ऋण खाता संख्या- 9440936

प्राधिकृत अधिकारी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड व आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित)

रक्तदान शिविर के पोस्टर का विमोचन

चौमूं/कालाडेर, (निसं)। चौमूं उपखण्ड के ग्राम ईटावा भोपजी स्थित तालाब वाले बालाजी सेवा संस्थान द्वारा 8 जनवरी को आयोजित चतुर्थ रक्तदान शिविर एवं वीरांगना सम्मान समारोह के पोस्टर का विमोचन भाजपा प्रदेशाध्यक्ष व आमेर विधायक सतीश पूनिया ने किया। पूनिया ने कहा कि रक्तदान हर एक व्यक्ति को करना चाहिए जिससे कि किसी की जान बच सके रक्तदान महादान होता है। इसी के साथ वीरांगना सम्मान समारोह करना भी बड़ा उत्कृष्ट कार्य है, अपने देश के जवानों के प्रति यह सम्मान बनता है। जाट महासभा चौमूं आमेर अध्यक्ष पवन चोपड़ा ने कहा कि शहीद की वीरांगना का सम्मान करना सबसे पुनीत कार्य है। तालाब वाले बालाजी सेवा संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष अजय भारती ने बताया कि 8 जनवरी को रक्तदान शिविर एवं वीरांगनाओं का सम्मान कार्यक्रम को लेकर अलग-अलग कमेटियों का गठन किया है।

चोरी करने आए युवक की जमकर हुई पिटाई

जयपुर, (निसं)। बस्सी थाना इलाके में चोरी की वारदात करने आए एक बदमाश को ग्रामीणों ने पकड़ कर जमकर पीटा। इसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलने पर बस्सी थाना पुलिस मोहनपुरा गांव पहुंची। स्थानीय लोगों ने घायल चोर को पुलिस के हवाले कर दिया।

बस्सी थाना प्रभारी यशवंत कुमार ने बताया- कल देर रात कार सवार दो चोर मनोहरपुरा गांव में घुसे। आरोपी कई दुकानों की रैकी कर चोरी का प्रयास कर रहे थे। उसी दौरान जाग हो जाने से वह मौके से भागने लगे। इस पर ठामीणों ने उनका पीछा करना शुरू किया। करीब आधा किलोमीटर तक पीछा करने पर ठामीणों के हाथ एक चोर तो पकड लिया। दूसरा चोर मौके से भाग गया। हालांकि चोरों की एक कार भी पुलिस को मौके से बरामद हुई है। चोर के साथ स्थानीय लोगों ने जमकर मारपीट की। इसके कारण उसके सिर और शरीर के कई हिस्सों से खून भी निकला। उसका बस्सी सीएससी में अभी उपचार चल रहा है। इसके बाद उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। स्थानीय लोगों ने बताया- गांव में आए दिन चोरी की वारदातें हो रही हैं। इसको देखते हुए मुख्य मार्गों पर स्थित मकान मालिकों ने सीसीटीवी कैमरा लगा रखे हैं। कई बार यह चोर सीसीटीवी कैमरा की जद में आकर चोरी की वारदात करते थे। कल देर रात जाग हो जाने से सभी लोगों ने एक साथ इन पर हमला कर दिया। इसके बाद यह लोग भागने लगे इसी दौरान एक चोर गंभीर रूप से घायल हो गया। चोरों की एक कार भी मौके पर छूट गई है। जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है।

■ बस्सी थाना इलाके के मनोहरपुरा गांव में देर रात लोगों ने पकड़ा चोर

उच्च शिक्षा मंत्री को भेजा 17 सूत्रीय मांगपत्र

जयपुर, (निसं)। राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ रुक्टा डेमोक्रेटिक के प्रदेश संयोजक डॉ.रमेश बैरवा ने उच्च शिक्षा मंत्री राजेन्द्र सिंह यादव को 17 सूत्रीय मांगपत्र का ज्ञापन भेजा है, जिसकी प्रतिलिपि प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा एवं आयुक्त, कॉलेज शिक्षा को भी भेजी है। ज्ञापन में लिखा है कि 7 जनवरी 2021 की कॉलेज शिक्षकों की वरिष्ठता सूची नियमानुसार नहीं होने के कारण विवादित है, उच्च न्यायालय में लंबे समय से विचाराधीन है,जिससे प्राचार्य पद पर डीपीसी अटकी हुई है। ज्यादातर कॉलेज पूर्णकालीन प्राचार्य के अभाव में ठीक से संचालित नहीं हो रहे हैं। अतः इस विवादित वरिष्ठता सूची की नियमानुसार समीक्षा कर जरूरी संशोधन किए जाए ताकि कोर्ट में लंबित इस विवाद का जल्द निस्तारण हो सके। विधि कॉलेजों में भी स्थायी प्राचार्य का पदस्थापन किया जाए। कॉलेज शिक्षकों को प्रोफेसर का पदनाम दिया जाए। समतामूलक एवं पारदर्शी स्थानांतरण नीति तैयार की जाए। डीपीसी समय पर कर सीएएस के तहत शिक्षकों को सीनियर, सलेक्शन,पे बैंड फोर का वित्तीय लाभ ड्यू डेट से ही नकद दिए जाए,नोशनल नहीं किया जाए आदि मांगों को लेकर पत्र भेजा है।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड IDFC FIRST Bank

(पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)
CIN : L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैन्नाई-600031
फोन- +91 44 4564 4000 | फैक्स- +91 44 4564 4022

वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुननिर्माण एवं ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के सैक्शन 13 (2) के तहत नोटिस

निम्न ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं ने नीचे वर्णित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड का सिक्योर्ड ऋण (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) से लिया था। निम्नलिखित ऋणग्रहितओं एवं सहऋणग्रहिताओं के ऋण उनकी अपनी-अपनी सम्पत्तियों के गिरवी रखने से सुरक्षित है। क्योंकि उन्होंने अपने-अपने ऋण एग्रीमेन्टस के नियम व शर्तों की पालना नहीं की है और अनियमित हो गये है, उनके ऋणों को आरबीआई की गाइडलाइन्स के अनुसार एनपीए वर्गीकृत कर दिया गया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को देय राशियाँ उनके पृथक नोटिस में लिखी गयी है तथा और विशेष रूप से निम्न सूचि में वर्णित हैं और उक्त राशियों पर आगे का ब्याज भी लागू होगा तथा वह उनकी अलग-अलग तिथियों से समझौते की प्रभावी दर से वसूला जायेगा।

क्रम संख्या	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं के नाम	सैक्शन 13(2) के नोटिस की तिथि	सैक्शन 13(2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि	सम्पत्ति का पता
1	12566494	गृह ऋण एलएपी	1. बाबू लाल शर्मा 2. शीला शर्मा	17.12.2022	18,83,494.59/-	प्लाट नं. 13-बी, कुल क्षेत्रफल 133.50 वर्गगज, स्कीम रघुनाथ विहार-सी, समिति मित्रि गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर, राजस्थान स्थित का पुरा व प्रत्येक भाग और सिमाएं है- पूर्व- 30' चौडी रोड, पश्चिम-प्लाट नं.13, उत्तर-अन्य भूमि, दक्षिण-30' चौडी रोड
2	19270575	सम्पत्ति पर ऋण	1. अजय सिंह 2. अतर सिंह 3. मंजू सिंह	29.12.2022	17,65,427.86/-	-प्लाट नं. 81 के पूर्व भाग का पुरा व प्रत्येक भाग, क्षेत्रफल 72.82 वर्गगज जो की 60.88 वर्ग मीटर है, सनराईज सिटी के नाम से जाना जाता है, निवारू रोड़, झोटवाड़ा, तहसील व जिला जयपुर राज. स्थित और सीमाएं है- पूर्व-80 फिट चौड़ी रोड, पश्चिम-प्लाट नं.81 का मध्य भाग, उत्तर-प्लाट नं.80, दक्षिण-60 फिट चौड़ी रोड

आपको एतद्द्वारा, इस प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर, ऊपर सूचि में दर्शायी राशियों को उनकी प्रथम तिथि से, उस पर लगे आगे के समझौते में ब्याज दर तथा अन्य खर्चों, चार्ज आदि सहित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि. (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को भुगतान करने को कहा जा रहा है, यदि ऐसा नहीं हुआ, तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को, एसएआरएफएइएसआई एक्ट के सैक्शन 13(4) तथा सैक्शन 14 के तहत, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को देय राशि वसूल करने के लिये, गिरवी रखी सम्पत्तियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिये बाध्य होना पडेगा/इसके अलावा उक्त एक्ट के सैक्शन 13 (13) के तहत आप उक्त सम्पत्तियों को बिक्री/लीज अथवा किसी अन्य प्रकार से ट्रांसफर नहीं करने के लिये प्रतिबंधित है।

ह./-
दिनांक- 05.01.2023
स्थान- जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)

खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन होंगे

लालसोट मंडावरी, (निसं)। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल 2022 व 23 में भाग लेने वाले पुरुष एवं महिला वर्ग खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नगरपालिका कार्यालय में हो सकेंगे।

पालिका की अधिशाषी अधिकारी सीमा चौधरी ने बताया कि 26 से 31 जनवरी तक राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाना है। इस राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल में कबड्डी टेनिस बॉल खो-खो एथलेटिक 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर एवं फुटबॉल बास्केटबॉल आदि खेलों में सभी आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग ले सकेंगे। खिलाड़ियों का पंजीकरण ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। खिलाडी द्वारा जनाधार की प्रविष्टि तत्पश्चात जिले वार्ड खेल का चयन करना अंत में सबमिट करना होगा व्यक्तिगत अथवा टीम के रूप में रजिस्ट्रेशन की सुविधा है। कंप्यूटर ऑपरेटर सीताराम सैनी एवं मुकेश सैनी से संपर्क किया जा सकता है।

धड़ल्ले से चल रहा अवैध गेस्ट हाउस का धंधा

नारायणपुर, (निसं)। कस्बे की गलियों और स्टेट हाईवे पर सारे नियम कायदे को नजरअंदाज कर गेस्ट हाउस का अवैध धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। ये सुरक्षा के लिहाज से बेहद खतरनाक हैं। मौजूदा समय में इनकी संख्या आधा दर्जन से अधिक बताई जा रही है।

इनकी वजह से आस-पडोस में रहने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। कस्बे में अवैध रूप से ऐसे नेटवर्क का जाल बिछ चुका है, जो लोगों को किराए पर एक-दो दिन या कुछ घंटों के लिए कमरा देते हैं। इनका कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। बिना किसी आईडी प्रूफ व सुरक्षा की जांच किए बिना ये गेस्ट हाउस लोगों को कमरा उपलब्ध करा देते हैं।

इन गेस्ट हाउस की मदद से तमाम तरीके के वैध-अवैध काम किए जा रहे हैं। किसी के साथ कोई घटना हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है। जानकारी के मुताबिक जो अवैध गेस्ट हाउस चल रहे है उन में 800 रु से लेकर 2100 रु रुपये प्रतिदिन व घंटों के हिसाब से लोगों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उनके यहां अन्य स्थानों से आने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों व मेहमानों को ठहराया जाता है। सूत्रों की मानें तो इन गेस्ट हाउसों के मालिक पर सरकारी ओहदों पर बैठे बड़े अफसर या फिर नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त है, इस वजह से प्रशासन व पुलिस इन पर हाथ नहीं डालती है।

कस्बे में इस तरीके से छोटे बड़े आधा दर्जन से ज्यादा गेस्ट हाउस चल रहे हैं। इनके बढ़ते जाल और खतरे को देखते हुए नींद में सो रहे प्रशासन ने अब तक अवैध गेस्ट हाउस के मालिकों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। इधर थानाधिकारी शिवशंकर चतुर्वेदी ने बताया कि कस्बे में अगर अवैध रूप से गेस्ट हाउस संचालित हो रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी।

विभिन्न पदों पर हुई नियुक्तियां

लालसोट, (निसं)। प्रदेश कांग्रेस द्वारा विभिन्न राजनीतिक पदों पर नियुक्तियों का दौर शुरू करने के साथ लालसोट के ब्लॉक अध्यक्ष आदि के पदों पर नियुक्तियां जारी हुई है।

उपखंड क्षेत्र के झापदा ग्राम निवासी फैलीराम मीणा बपलावत की ढाणी को प्रियंका गांधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित जगदीश शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रमोद गांधी, प्रदेश संयोजक धनसिंह नरूका की सहमति से राहुल प्रियंका गांधी सेना कांग्रेस दौसा का जिलाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। इसी तरह राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा लालसोट के ब्लाक अध्यक्ष पद पर रामफूल सैनी एवं चांदसेन ब्लाक अध्यक्ष के पद पर दीपक पुरोहित को नियुक्त किया गया है। वहीं राजनीतिक पदों पर नियुक्तियों का दौर शुरू होने से कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों में उम्मीदों की किरण जागने के साथ चेहरों पर खुशी देखी गई है। लालसोट कांग्रेसी ब्लॉक के संगठन को मुख्य मिलने के साथ संगठन को मजबूती मिलेगी।

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-तृतीय
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर-0141-4901853
आम जाहिर सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा विकसित आवासीय भूखण्ड संख्या 11/H/93 इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा जयपुर, क्षेत्रफल 236.25 वर्ग मीटर का आवंटन श्री श्रवण पुत्र स्व. श्री चन्दालाल एवं श्रीमती नैना देवी बेवा श्री चन्दा लाल, जाति मीणा को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 4292 दिनांक 28.05.2008 जारी किया गया था। तत्पश्चात सचिव, रा.आ.मण्डल जयपुर के पत्र क्रमांक 2190 दिनांक 28.05.2008 के अनुसार उक्त विकसित आवासीय भूखण्ड का मुख्त्यारनामा आम श्रीमती मन्नी देवी पत्नी श्री श्रीनारायण मीणा को निर्देशित किया गया। मुख्त्यारनामा आम धारिका श्रीमती मन्नी देवी पत्नी श्री श्रीनारायण मीणा के द्वारा विकसित आवासीय भूखण्ड के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, सांगानेर, प्रथम में दिनांक 29.05.2008 को करवाया गया।
तत्पश्चात् मुख्त्यार आम श्रीमती मन्नी देवी पत्नी श्री श्रीनारायण मीणा के द्वारा उक्त विकसित आवासीय भूखण्ड का बेचान श्री श्रीनारायण मीणा पुत्र श्री नानगराम मीणा को कर, विक्रय पत्र का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, सांगानेर जयपुर प्रथम में दिनांक 12.05.2008 को करवाया गया।
तत्पश्चात् श्री श्रीनारायण मीणा पुत्र स्व. श्री नानगराम मीणा के द्वारा उक्त विकसित आवासीय भूखण्ड का बेचान श्री हरिराज स्वरूप शर्मा पुत्र. स्व. श्री राम गोपाल शर्मा को कर, विक्रय पत्र का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, सांगानेर जयपुर चतुर्थ में दिनांक 04.06.2008 को करवाया गया।
श्री हरिराज स्वरूप शर्मा की मृत्यु दिनांक 18.10.2016 को हो जाने के पश्चात श्री अश्विनी कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री हरिराज स्वरूप शर्मा के द्वारा क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, हकत्याग पत्र, इकरारनामा/सहमति पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर, उक्त विकसित आवासीय भूखण्ड का प्रतिस्थापन अपने नाम से करने का निवेदन किया गया है।
अतः उक्त विकसित भूखण्ड के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति/बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता श्री अश्विनी कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री हरिराज स्वरूप शर्मा के पक्ष में उक्त विकसित आवासीय भूखण्ड के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी।
सम्पदा प्रबंधक, वृत तृतीय, रा.आ.मण्डल जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-तृतीय
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर-0141-4901853
आम जाहिर सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा विकसित आवासीय भूखण्ड संख्या 11/H/88 इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा जयपुर, क्षेत्रफल 236.25 वर्ग मीटर का आवंटन श्री प्रताप पुत्र श्री रामपाल, जाति मीणा को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 4288 दिनांक 28.05.2008 जारी किया गया था। तत्पश्चात सचिव, रा.आ.मण्डल जयपुर के पत्र क्रमांक 2190 दिनांक 28.05.2008 के अनुसार उक्त विकसित आवासीय भूखण्ड का मुख्त्यारनामा आम श्रीमती मन्नी देवी पत्नी श्री श्रीनारायण मीणा को निर्देशित किया गया। मुख्त्यारनामा आम धारिका श्रीमती मन्नी देवी पत्नी श्री श्रीनारायण मीणा के द्वारा विकसित आवासीय भूखण्ड के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, सांगानेर, प्रथम में दिनांक 29.05.2008 को करवाया गया।
तत्पश्चात् मुख्त्यार आम श्रीमती मन्नी देवी पत्नी श्री श्रीनारायण मीणा के द्वारा उक्त विकसित आवासीय भूखण्ड का बेचान श्री श्रीनारायण मीणा पुत्र श्री नानगराम मीणा को कर, विक्रय पत्र का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, सांगानेर जयपुर प्रथम में दिनांक 12.05.2008 को करवाया गया।
तत्पश्चात् श्री श्रीनारायण मीणा पुत्र स्व. श्री नानगराम मीणा के द्वारा उक्त विकसित आवासीय भूखण्ड का बेचान श्री हरिराज स्वरूप शर्मा पुत्र. स्व. श्री राम गोपाल शर्मा को कर, विक्रय पत्र का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, सांगानेर जयपुर चतुर्थ में दिनांक 04.06.2008 को करवाया गया।
श्री हरिराज स्वरूप शर्मा की मृत्यु दिनांक 18.10.2016 को हो जाने के पश्चात श्री अश्विनी कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री हरिराज स्वरूप शर्मा के द्वारा क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, हकत्याग पत्र, इकरारनामा/सहमति पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर, उक्त विकसित आवासीय भूखण्ड का प्रतिस्थापन अपने नाम से करने का निवेदन किया गया है।
अतः उक्त विकसित भूखण्ड के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति/बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता श्री अश्विनी कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री हरिराज स्वरूप शर्मा के पक्ष में उक्त विकसित आवासीय भूखण्ड के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी।
सम्पदा प्रबंधक, वृत तृतीय, रा.आ.मण्डल जयपुर

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड IDFC FIRST Bank

(पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)
CIN : L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैन्नाई-600031
फोन- +91 44 4564 4000 | फैक्स- +91 44 4564 4022

वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुननिर्माण एवं ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के सैक्शन 13 (2) के तहत नोटिस

निम्न ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं ने नीचे वर्णित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड का सिक्योर्ड ऋण (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) से लिया था। निम्नलिखित ऋणग्रहितओं एवं सहऋणग्रहिताओं के ऋण उनकी अपनी-अपनी सम्पत्तियों के गिरवी रखने से सुरक्षित है। क्योंकि उन्होंने अपने-अपने ऋण एग्रीमेन्टस के नियम व शर्तों की पालना नहीं की है और अनियमित हो गये है, उनके ऋणों को आरबीआई की गाइडलाइन्स के अनुसार एनपीए वर्गीकृत कर दिया गया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को देय राशियाँ उनके पृथक नोटिस में लिखी गयी है तथा और विशेष रूप से निम्न सूचि में वर्णित हैं और उक्त राशियों पर आगे का ब्याज भी लागू होगा तथा वह उनकी अलग-अलग तिथियों से समझौते की प्रभावी दर से वसूला जायेगा।

क्रम संख्या	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं के नाम	सैक्शन 13(2) के नोटिस की तिथि	सैक्शन 13(2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि	सम्पत्ति का पता
1	18709467 एवं 32593098	सम्पत्ति पर ऋण	1. दीन बंधु मेडिकल हॉल प्रो. संजय झालानी 2. संजय झालानी 3. श्री कृष्ण झालानी 4. सुनीता झालानी	24.12.2022	1,87,03,897.77/-	प्लाट नं. ई-128, क्षेत्रफल 200 वर्गगज, अम्बाबाडी जयपुर, राजस्थान स्थित का पुरा व प्रत्येक भाग और सीमाएं है- पूर्व-40 फिट चौडी सरकारी रोड, पश्चिम-प्लॉट नं.ई-149, उत्तर-प्लाट नं. ई-129, दक्षिण-प्लाट नं.ई-127
2	30531516	सम्पत्ति पर ऋण	1. नारायण एन्टरप्राइजेज प्रो. चन्द्र प्रकाश रावत 2. चन्द्र प्रकाश रावत 3. रघुनन्दन रावत 4. सत्य प्रकाश रावत 5. सीता रावत	28.12.2022	2,19,93,150.11/-	प्लाट नं. 8/131 क्षेत्रफल 196.48 वर्ग मीटर, सेक्टर नं. 8, विद्याधर नगर, जयपुर राज. स्थित का पुरा व प्रत्येक भाग और सीमाएं है- पूर्व-30 फिट चौडी रोड, पश्चिम-प्लाट नं. 103 व 104, उत्तर-प्लाट नं. 132, दक्षिण-प्लाट नं.130

आपको एतद्द्वारा, इस प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर, ऊपर सूचि में दर्शायी राशियों को उनकी प्रथम तिथि से, उस पर लगे आगे के समझौते में ब्याज दर तथा अन्य खर्चों, चार्ज आदि सहित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि. (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को भुगतान करने को कहा जा रहा है, यदि ऐसा नहीं हुआ, तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को, एसएआरएफएइएसआई एक्ट के सैक्शन 13(4) तथा सैक्शन 14 के तहत, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को देय राशि वसूल करने के लिये, गिरवी रखी सम्पत्तियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिये बाध्य होना पडेगा/इसके अलावा उक्त एक्ट के सैक्शन 13 (13) के तहत आप उक्त सम्पत्तियों को बिक्री/लीज अथवा किसी अन्य प्रकार से ट्रांसफर नहीं करने के लिये प्रतिबंधित है।

ह./-
दिनांक- 05.01.2023
स्थान- जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)

काजी कुआं जाने वाली रोड धंसी

सांभरझील, (निसं)। यहां दूदू रोड से काजी कुआं की तरफ जाने वाली सड़क विगत 6 माह से दोनों तरफ से धंसी पड़ी है। धंसने का कारण लगातार ट्रेलर की आवाजाही बताई जा रही है। दोनों तरफ रोड के टूटने से आने जाने का रास्ता कुछ फीट ही बचा है।

बताया जा रहा है कि लंबे समय से इस रास्ते की रोड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है तो दूसरी तरफ क्षतिग्रस्त रोड के पास ही लंबी दूरी तक आसपास के लोगों की ओर से भी सड़क पर कचरा डालना भी बताया जा रहा है। भारी तादाद में कचरा पड़ा होने से राहगीरों का निकलना भी दूभर हो जाता है।

■ दोनों तरफ रोड के टूटने से आने जाने का रास्ता कुछ फीट ही बचा

सांभर में काजी कुआं जाने वाले रास्ते की सड़क भारी वाहन की आवाजाही से धंस गई।

गंदगी और कचरे के ढेर में आवारा जानवरों का जमावडा रहने से अनेक बार लोग इनकी चपेट में आकर चोटिल तक होना बताया जा रहा है। सफाई कर्मचारियों की ओर से कच्चा तो यहां से उठाया जाता है लेकिन सख़्ती की कमी के चलते आम नागरिकों की ओर से खुले में कचरा फेंका जा रहा है। कुछ जागरूक लोगों ने जिम्मेदार विभाग को अनेक दफा इस रोड से ट्रेलर की आवाजाही की रोकथाम के लिए अनुरोध किया लेकिन न तो विभाग इस ओर ध्यान दे रहा है और ना ही टूटी हुई सडक को ठीक करवाने की दिशा में कोई कारगर कदम उठते दिखाई दे रहे हैं। जिम्मेदार पालिका प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी लोगों के लिए काफी परेशानी का सबब बनती जा रही है।

इस मामले में अधिशाषी अधिकारी हरिनारायण यादव का कहना है कि क्षमता से अधिक भरे वाहन यदि कोई आ रहा है तो इसके लिए पुलिस प्रशासन को पत्र लिखकर ऐसे वाहनों को निषेध करवाने का प्रयास किया जाएगा। मेरी जानकारी में आज आया है, मौका मुआयना कर सड़क को शीघ्र ही दुरुस्त करवा कर लोगों को राहत प्रदान करेंगे।